

ਪੁਸ਼ਟ ਕਾਨ੍ਤੇਜ਼ 192/86

पुलिस आदेश तं० ९९ के संबंध में कुछ पदा धिकारियों द्वारा यह जिक्राता हो गया है कि उक्त आदेश लेखन पृष्ठर कोटि के पदों तक नियमित होने के माध्यम से इस तार्गती होगा या सभी पुकार को प्रोन्नतियों में। इस संदर्भ में यह दृष्टिकोण करना है कि उक्त आदेश तभी पुकार को प्रोन्नतियों पर समर्प्य लागू होगा।

5
॥१२-१-८६पौ।।कं॥

₹०/- इति सुन्धाय,
महानिदेश सर्वं प्रारब्धो महीनसोऽहम्, मिहार ।

झापांड । अग्नि ।
19-5-1-36

महानिर्देशक द्वारा महानिरोक्त का कायमिय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 2 जनवरी, 1987।

प्रतिनिधि:- सबौ आरषो महानिरोद्ध/आरषो उम्मनि, रेलवे तहित/आरषो अधोक्ष-
रेलवे तहित/तमादेहटा को सुचनार्थ सर्व आदरशक कियार्थ ।

2- महानिरोधक, विशेष गाथा/अपराध अनुसंधान विभाग/लगास्त्र बन/रैलिये/निगरानी/अभियोजन/प्रशिक्षण संवं निरोधक को सहनार्थ संवं आव्याप्ति कियार्थ ।

३- आरक्षो मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को समनार्थ ।

४- तथो पुजा खा पदाधिकारो मृण्यालय को सघनार्थ ।

5- पी२ प्रश्नाखा, मुख्यालय को पुलिस गजट में पकाशनार्थ ।

आरक्षी महानिरोधक के सह, ५करोड़ा मिल। बिहार पट्टना ।

ମୁଦ୍ରାକାରୀ